



प्रेस विज्ञप्ति

28.09.2026

भारत द्वारा एआरआईएन-एपी की 11वीं वार्षिक आम बैठक की मेजबानी



1. एसेट रिकवरी इंटरएजेंसी नेटवर्क-एशिया पैसिफिक (एआरआईएन-एपी) की 11वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) आज नई दिल्ली में प्रारंभ हुई। वर्ष 2026 के लिए एआरआईएन-एपी की भारत की अध्यक्षता के अंतर्गत इस बैठक की मेजबानी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा की जा रही है, जो इस नेटवर्क के लिए भारत का नोडल अभिकरण है। दिनांक 28 सितंबर से 1 अक्टूबर, 2026 तक आयोजित इस बैठक में नेटवर्क के सदस्य न्यायक्षेत्रों तथा पर्यवेक्षक संगठनों के प्रतिनिधिमंडलों के साथ-साथ भारत के विभिन्न अभिकरणों के प्रतिनिधि भी भाग ले रहे हैं। दिन में इससे पूर्व संचालन समूह की बैठक आयोजित की गई। उद्घाटन सत्र को निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय तथा कोरिया गणराज्य के सुप्रीम प्रॉसीक्यूटर्स ऑफिस (एसपीओ) के निदेशक ने संबोधित किया। सुप्रीम प्रॉसीक्यूटर्स ऑफिस, एआरआईएन-एपी के सचिवालय के रूप में कार्य करता है। भारत सरकार के राजस्व सचिव का संदेश विशेष निदेशक (मुख्यालय), प्रवर्तन निदेशालय द्वारा पढ़कर सुनाया गया।

एआरआईएन-एपी के बारे में

2. एआरआईएन-एपी, एशिया-प्रशांत क्षेत्र में अपराध की आय की वसूली से जुड़े सभी पहलुओं पर कार्य करने वाले विधि प्रवर्तन एवं न्यायिक संपर्क बिंदुओं का एक अनौपचारिक नेटवर्क है। इसे नवंबर 2013 में कोरिया में प्रारंभ किया गया था और यह यूरोप के कैरिन (CARIN) नेटवर्क की तर्ज पर स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य सूचनाओं तथा सर्वोत्तम प्रथाओं के प्रत्यक्ष एवं त्वरित आदान-प्रदान के माध्यम से अपराधियों को उनके अवैध लाभ से वंचित करने संबंधी सदस्य देशों के प्रयासों की प्रभावशीलता बढ़ाना है। इसमें ऐसे न्यायक्षेत्रों के साथ सहयोग भी शामिल है, जिनके साथ कोई पारस्परिक विधिक सहायता संधि विद्यमान नहीं है। यह नेटवर्क सभी प्रकार के अपराधों से अर्जित अपराध की आय को अपने दायरे में शामिल करता है। प्रत्येक सदस्य द्वारा दो संपर्क बिंदु नामित किए जाते हैं, एक विधि प्रवर्तन अभिकरण से तथा दूसरा न्यायिक अथवा अभियोजन प्राधिकारी से।

3. नेटवर्क का संचालन प्रतिवर्ष परिवर्तित होने वाली अध्यक्षता, संचालन समूह तथा सचिवालय के माध्यम से किया जाता है। कोरिया गणराज्य का सुप्रीम प्रॉसीक्यूटर्स ऑफिस (एसपीओ) नेटवर्क की स्थापना से ही इसके सचिवालय के रूप में कार्य कर रहा है। वर्तमान में एआरआईएन-एपी में 32 सदस्य न्यायक्षेत्र तथा 10 पर्यवेक्षक हैं। इनमें इंटरपोल, संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय (यूएनओडीसी), विश्व बैंक तथा अन्य क्षेत्रों के समकक्ष परिसंपत्ति वसूली नेटवर्क भी शामिल हैं।

ग्लोबई नेटवर्क में भारत की भूमिका

4. 11वीं वार्षिक आम बैठक पहली बार भारत द्वारा आयोजित की जा रही है। वर्ष 2024 में सिडनी में आयोजित वार्षिक आम बैठक के दौरान भारत को एआरआईएन-एपी के संचालन समूह में शामिल किया गया था और उसी बैठक में भारत को वर्ष 2026 के लिए नेटवर्क की अध्यक्षता का दायित्व भी सौंपा गया था। समग्र सरकारी तंत्र के सहयोग से नेटवर्क की वार्षिक बैठक की मेजबानी करना तथा पूरे वर्ष उसका नेतृत्व करना, वैश्विक परिसंपत्ति वसूली समुदाय में भारत द्वारा अर्जित प्रतिष्ठा को दर्शाता है। साथ ही, यह एफएटीएफ, ग्लोबई नेटवर्क तथा जी-20 और ब्रिक्स मंचों सहित अंतरराष्ट्रीय मानक-निर्धारण में प्रवर्तन निदेशालय के बढ़ते योगदान को भी रेखांकित करता है।

5. इस आयोजन का महत्व अत्यंत व्यापक है। अपराध की आय जब कुछ ही घंटों में सीमाओं के पार स्थानांतरित हो सकती है, तो उसकी वसूली तभी संभव है जब विभिन्न न्यायक्षेत्रों के अभिकरण परस्पर समन्वय से कार्य करें; और वसूली की प्रक्रिया तभी पूर्ण मानी जा सकती है, जब परिसंपत्तियां पीड़ितों तथा राज्य को वापस की जाएं। क्षेत्र के संबंधित अधिकारियों एवं विशेषज्ञों को नई दिल्ली में एक मंच पर लाकर, भारत उस आपसी विश्वास और त्वरित सहयोग को सुदृढ़ करने में योगदान दे रहा है, जिस पर इस प्रकार का अंतरराष्ट्रीय सहयोग निर्भर करता है।

बैठक का उद्घाटन सत्र



6. अपने उद्घाटन संबोधन में निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय ने प्रतिनिधियों का स्वागत किया तथा संपर्क-बिंदु नेटवर्क को निरंतर सक्रिय बनाए रखने और क्रमिक अध्यक्षताओं को सहयोग प्रदान करने के लिए कोरिया गणराज्य के सुप्रीम प्रॉसीक्यूटर्स ऑफिस (एसपीओ) के प्रति सभी सदस्यों की ओर से आभार व्यक्त किया। निदेशक ने पिछली दो वार्षिक आम बैठकों की मेजबानी करने वाले ऑस्ट्रेलिया और मंगोलिया द्वारा प्रस्तुत उदाहरण की भी सराहना की।

7. निदेशक ने कहा कि परिसंपत्ति वसूली एक चरणबद्ध प्रक्रिया है, जिसमें परिसंपत्तियों का पता लगाना, उन्हें सुरक्षित करना, अधिहरण तथा उनका प्रबंधन एवं वापसी शामिल है, और इनमें से किसी भी चरण में मामला बाधित हो सकता है। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय सहयोग प्रारंभिक चरणों में अपेक्षाकृत अधिक सुदृढ़ रहता है, जबकि सीमा-पार अधिहरण, विदेशी आदेशों का प्रवर्तन तथा परिसंपत्तियों का संप्रत्यावर्तन ऐसे चरण हैं, जहां मामलों की प्रगति प्रायः धीमी पड़ जाती है। बैठक की विषयवस्तु नेटवर्क से इन बाद के चरणों पर भी उतना ही ध्यान केंद्रित करने का आह्वान करती है, जितना लंबे समय से प्रारंभिक चरणों पर दिया जाता रहा है।

8. आगे, निदेशक ने उल्लेख किया कि हाल के मामलों में तेजी से स्थानांतरित होने वाली और अधिकांशतः सीमा-पार अपराध की आय सामने आई है। ऐसी आय अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी एवं गेमिंग प्लेटफॉर्मों, आभासी परिसंपत्तियों में त्वरित रूपांतरण वाली साइबर-सक्षम धोखाधड़ी, भुगतान एग्रीगेटर्स एवं गेटवे के दुरुपयोग, शेयर मूल्यों में हेरफेर तथा विदेश प्रेषणों को समर्थन देने वाले पेशेवर प्रमाणनों के दुरुपयोग से उत्पन्न हो रही है।



9. निदेशक ने इस बात पर भी बल दिया कि एआरआईएन-एपी का अधिकारियों के बीच प्रत्यक्ष संपर्क का माध्यम, परिसंपत्तियों के स्थानांतरित अथवा अन्यथा समाप्त किए जाने से पहले उन तक पहुंच बनाने में सहायता करके, औपचारिक पारस्परिक विधिक सहायता व्यवस्था का पूरक बनता है। उन्होंने सदस्यों को आश्वस्त किया कि प्राप्त होने वाले सहायता अनुरोधों पर त्वरित कार्रवाई करना प्रवर्तन निदेशालय की उच्च प्राथमिकता है। निदेशालय को बैंकों, वित्तीय संस्थानों तथा अन्य संस्थाओं से सीधे सूचना एवं अभिलेख प्राप्त करने की वैधानिक शक्तियां प्राप्त हैं, जिससे नेटवर्क के माध्यम से मांगी गई सूचना को सामान्यतः आसूचना के रूप में शीघ्र साझा किया जा सकता है। अप्रैल 2024 से अब तक निदेशालय ने प्राप्त सहायता अनुरोधों में से लगभग 90 प्रतिशत का पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से निष्पादन किया है। निदेशक ने यह भी उल्लेख किया कि धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 भारत को विदेश में स्थित परिसंपत्तियों पर रोक लगाने तथा उनके अधिहरण की मांग करने और समतुल्य मूल्य की संपत्ति के विरुद्ध कार्रवाई करने में सक्षम बनाता है, जिससे मात्र धनराशि को विदेश स्थानांतरित कर दिए जाने से उसकी वसूली की प्रक्रिया निष्फल नहीं होती। उन्होंने वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) के परिसंपत्ति वसूली संबंधी मार्गदर्शन एवं सर्वोत्तम प्रथाओं को विकसित करने वाली परियोजना टीम के सदस्य के रूप में निदेशालय के योगदान तथा ग्लोबई नेटवर्क और जी-20 एवं ब्रिक्स के भ्रष्टाचार-रोधी कार्य समूहों में निदेशालय की सक्रिय भागीदारी को भी रेखांकित किया।

10. आगे की दिशा में, निदेशक ने भारत की अध्यक्षता के अंतर्गत नेटवर्क के लिए दो प्राथमिकताएं निर्धारित कीं, अनुरोधों पर त्वरित प्रतिक्रिया तथा मामलों को निष्कर्ष तक पहुंचाना। उन्होंने प्रस्ताव किया कि जहां सदस्य ऐसी सूचना साझा करने की स्थिति में हों, वहां नेटवर्क उन मामलों की संख्या का भी अनुवर्तन करे, जिनमें एआरआईएन-एपी के माध्यम से हुए सहयोग के फलस्वरूप परिसंपत्तियों का वास्तव में अधिहरण कर उन्हें वापस किया गया। उन्होंने उल्लेख किया कि कार्यरत अधिकारियों की प्रतिबद्धता के बावजूद, अंतरराष्ट्रीय आकलनों से यह संकेत मिलता है कि अंततः अधिहृत की जाने वाली अपराध की आय का अनुपात अभी भी अपेक्षित स्तर से काफी कम है। इस संदर्भ में निदेशक ने सदस्यों से इसके कारणों पर विचार करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि अधिकारी उचित रूप से विधिक सावधानी बरतते हैं, किंतु कभी-कभी वे घरेलू कानून की सूक्ष्मताओं में अत्यधिक उलझ सकते हैं, जबकि कुछ बाधाएं वास्तविक कानूनी अवरोधों की अपेक्षा प्रशासनिक अथवा प्रक्रियागत प्रकृति की हो सकती हैं। उन्होंने सदस्यों से इस बात पर विचार करने का आग्रह किया कि उनके मामलों में कौन-सी कठिनाइयां वास्तव में कानून की अनिवार्यता से उत्पन्न होती हैं और किनका समाधान भिन्न दृष्टिकोण अपनाकर किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि विधिक व्यवस्थाएं भिन्न हो सकती हैं, किंतु उद्देश्य समान है, अपराध से अर्जित लाभ को अपराधियों के हाथों से बाहर निकालना।

11. कोरिया गणराज्य के सुप्रीम प्रॉसीक्यूटर्स ऑफिस की निदेशक (एआरआईएन-एपी सचिवालय) ने भी वार्षिक आम बैठक की मेजबानी के लिए प्रवर्तन निदेशालय और भारत के प्रति आभार व्यक्त किया तथा कार्यक्रम और आगामी चर्चाओं की कार्यसूची का व्यापक अवलोकन प्रस्तुत किया।

12. राजस्व सचिव, जो व्यक्तिगत रूप से कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो सके, ने इस अवसर के लिए अपना संदेश प्रेषित किया। विशेष निदेशक (मुख्यालय) द्वारा पढ़े गए अपने संदेश में राजस्व सचिव ने परिसंपत्ति वसूली के लिए भारत द्वारा अपनाए गए समग्र सरकारी दृष्टिकोण पर बल दिया तथा परिसंपत्ति वसूली के उद्देश्य और इस क्षेत्र में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा किए जा रहे कार्यों के प्रति भारत सरकार के समर्थन की पुनः पुष्टि की।

कार्यक्रम एवं अपेक्षाएँ

13. कार्यक्रम की विषयवस्तु परिसंपत्ति वसूली की संपूर्ण प्रक्रिया के अनुरूप निर्धारित की गई है। उद्घाटन दिवस पर परिसंपत्ति वसूली से संबंधित एफएटीएफ के संशोधित मानकों (सिफारिशें 4 एवं 38) तथा अवैध वित्तीय प्रवाह की क्षेत्रीय प्रवृत्तियों पर चर्चा की गई। 29 सितंबर के सत्रों में सीमा-पार परिसंपत्तियों का पता लगाने तथा अनौपचारिक सहयोग से संबंधित विषयों पर चर्चा की जाएगी। इनमें लाभकारी स्वामित्व संबंधी जानकारी का उपयोग, आभासी परिसंपत्तियों पर रोक लगाना, इंटरपोल सिल्वर नोटिस तथा अनौपचारिक अनुरोधों और औपचारिक पारस्परिक विधिक सहायता के क्रमबद्ध उपयोग जैसे विषय शामिल हैं। इसके उपरांत दोषसिद्धि के बिना अधिहरण तथा अपील के दौरान अधिहरण आदेशों के प्रतिरक्षण पर विचार-विमर्श किया जाएगा। 30 सितंबर को सत्रों का केंद्र अधिहृत परिसंपत्तियों का प्रबंधन तथा पीड़ितों को परिसंपत्तियों की बहाली एवं वापसी होगा, जिसमें भारत से संबंधित एक केस स्टडी भी शामिल होगी। इसके अतिरिक्त, अन्य क्षेत्रीय नेटवर्कों से संबंधित अद्यतन जानकारी साझा की जाएगी तथा वर्ष 2027 के लिए एआरआईएन-एपी की अध्यक्षता भारत से सिंगापुर को हस्तांतरित की जाएगी।

14. बैठक से संपर्क बिंदुओं के बीच कार्यगत समन्वय को सुदृढ़ करने, औपचारिक माध्यमों के साथ-साथ सूचनाओं के त्वरित अनौपचारिक आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करने तथा परिसंपत्ति वसूली के उन अंतिम चरणों पर साझा रूप से अधिक ध्यान केंद्रित करने की अपेक्षा है, जिनमें अधिहृत परिसंपत्तियों को वास्तव में वापस किया जाता है।
